:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक:-स्थापना/सैटअप/मृ.आ./81875-976 दिनांक :- 23-3-2022

-:-परिपत्र-:-

प्राय यह देखने में आया है कि विभाग में कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी के मृत्यु दिनांक को पदस्थापित कारागृह द्वारा मृतक आश्रितों द्वारा किये गये आवेदन पर केवल एक प्रार्थना पत्र या फिर अपूर्ण आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। जिसमें ना तो कोई सत्यापन हेतु दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित किये जाते है और ना ही आवेदन एवं सत्यापन प्रपत्र की पूर्ति कर भिजवाया जाता है।इस प्रकार अपूर्ण प्रकरण इस कार्यालय में भिजवाये जाने पर संबंधितों को अनुकत्पात्मक नियुक्ति दिये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। प्रकरण की पूर्ति करवाये जाने हेतु बार-बार पत्राचार किया जाता है, जिसके पश्चात भी पूर्ण प्रकरण प्राप्त नहीं होते है, जिससे नियुक्ति में समय लगता है।राज्य सरकार के मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 की मंशा है कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति दी जाकर परिवार को राहत प्रदान की जावे।

अत: आपको निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में आपकी कारागृह पर पदस्थापित कर्मचारी की मृत्यु होने पर निम्नानुसार आवेदन प्रपत्र मृत्यु दिनांक से निर्धारित समयावधि 90 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पूर्ण रूप से तैयार कर भिजवावें :-

1. कर्मचारी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित के स्थाई एवं वर्तमान निवास के पते पर पत्र द्वारा आवेदन एवं सत्यापन प्रपत्र प्रेषित कर यहं अंकन किया जावे कि यदि मृतक का कोई आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाहता है तो मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि के अन्दर-अन्दर आवेदन पत्र की पूर्ति कर आपके कार्यालय में प्रस्तुत करें और यदि नियुक्ति नहीं चाहता है तो सूचित करे।
2. आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सत्यापन प्रपत्र के समस्त बिन्दुओं/कॉलमों की पूर्ति करावें साथ ही आवेदक के सत्यापन संबंधी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रमाणित प्रति संलग्न करावें।
3. मृतक की पत्नी/पति का आवेदन पत्र जिसको अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलाना चाहता/चाहती है, एवं मृतक के समस्त आश्रितों के शपथ पत्र कि आवेदनकर्ता श्री(.....) को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने में उन्हे कोई आपत्ती है अथवा नही।
4. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र कि उसके द्वारा मृतक के समस्त आश्रितों का उचित भरण पोषण किया जावेगा यदि भरण पोषण नहीं किया जाता है तो उसकी सेवाऐं समाप्त कर दी जावे।
5. मृतक के परिवार का कोई भी आश्रित सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/ निगम जो पूर्णत: या भागत: राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है का शपथ पत्र।
6. यदि आवेदन कर्ता या मृतक का कोई परिवार का सदस्य विवाहित है तो उसकी पत्नी का केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के

कानूनी बोर्ड, संगठन/ निगम जो पूर्णतः या भागतः राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं है का शपथ पत्र।

7. परिवार की सभी स्त्रोतो से (यथा कृषि, पेंशन, मजदूरी, मकान किराया आदि) मासिक आय का शपथ-पत्र।
8. नियमित एवं निरन्तर सेवा का प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि स्व. श्री ..... पद..... कारागृह..... की सेवाभिलेख के आधार नियुक्ति तिथि..... से मृत्यु दिनांक ..... तक की अवधि के दौरान सेवायें नियमित व निरन्तर रही है एवं स्वीकृत स्ट्रेंथ से नाम पृथक किये जाने के आदेश की प्रति।
9. यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह पंजियन प्रमाण पत्र नियुक्ति दिये जाने से पूर्व उसकी आवश्यकता होगी, जो पृथक से भी इस कार्यालय को प्रेषित किया जा सकता है।
10. आवेदन कर्ता की फोटो प्रभारीअधिकारी द्वारा प्रमाणित की जावे, आवेदन पत्र के भाग संख्या 3 एवं भाग संख्या 5 में साक्ष्य प्रमाणित करने वाले दोनों गवाहो के पूर्ण पते एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाये जावें। भाग। संख्या 4 एवं 5 की पूर्ति इस कार्यालय द्वारा की जावेगी।

(यू.एल.छानवाल)
महानिरीक्षक(पुलिस)कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर। (संलग्न आवेदन एंव सत्यापन प्रपत्र)
2. समस्त प्रभारी केन्द्रीय/जिला/म.ब.सु./उप कारागृह राजस्थान (संलग्न आवेदन एंव सत्यापन प्रपत्र)
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
4. प्रभारी संस्थापन शाखा प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ महानिदेशालय कारागार जयपुर। (संलग्न आवेदन एंव सत्यापन प्रपत्र)
5. प्रभारी कम्प्यूटर लैब शाखा महानिदेशालय कारागार जयपुर को उक्त आदेशो की प्रति विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षक पत्रावली।

22/3/22

महानिरीक्षक(पुलिस)कारागार
राजस्थान, जयपुर